मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 2793-4 जी०एस०II-77/10319, दिनांक 19 अप्रैल, 1977 की प्रति ।

विषय : सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को परिवार नियोजन प्रोग्राम के अधीन नसबन्दी/नलबन्दी आप्रेशन करवाने का कोई कम्पलिकेशन होने पर अतिरिक्त विशेष अवकाश प्रदान करना ।

महोदय,

मुझे निदेश हुए हैं कि उपरोक्त विषय पर आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र0 7502-जी एस II-75/24167, दिनांक 7 अगस्त, 1975 की ओर दिलाऊं, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी नसबन्दी आप्रेशन फेल होने पर पुनः आप्रेशन करवाता है, तो उस समय भी उसे 6 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जायेगा । परन्तु अब सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को नसबन्दी/नलबन्दी आप्रेशन करवाने के बाद कोई कम्पलिकेशन होती है तो उसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने पर और विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाये । इस प्रकार का लाभ कन्टीनजैंट पेड स्टाफ को भी मिलेगा ।

भवदीय,

हस्ता0

उप सचिव, सामान्य प्रशासन

कृते0 मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति :—

वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा । सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ भेजी जाती है ।